SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI) : (a) to (d) Ministry of Defence, *vide* letter No. 8(325)/86/D (Pen-A) dated the 27th February, 1987 and letter of even number dated the 23rd March, 1989, decided that the death of Lt. Krishna Khulbe (IC-41409-W) who died on 25-7-85, should be regarded as being due to military service and Dependent Pension paid to the claimant with effect from 26-7-1985, *as admissible under the rules.* One of the conditions under the then existing rules, prior to 1-1-86, for admissibility of Dependent Pension was that the Dependent Pension could be granted *only if* the combined income of both the parents from all sources (as laid down in Ministry of Defence letter No. PC/210756/73/2788/Pen-C dated the 22nd April, 1982) was less than Rs. 12,000/- per annum *or* if there was only one parent, then his/her income was less than Rs. 9,000/- per annum. As the death of the officer occurred prior to 1-1-1986, the CDA(P) was required to verify the means limit before ayment of Depend er the rules applicable in this case.

2. For processing the request of Dependent Pension, complete details of the total income from all sources of both the parents have not so far been furnished by Smt. Dhani Devi, mother of late Lt. Krishna Khulbe. An examination of the case by CDA(P), Allahabad, on the basis of the information furnished to him, revealed that the anticipated annual income is more than the prescribed means limit of Rs. 12,000/-, for both the parents. Therefore, Dependent Pension has not so far been released by the CDA(P). Smt. Dhani Devi was apprised of the above position by CDA(P), Allahabad. Suitable replies have also been sent to the hon'ble Members of Parliament.

Manufacture of M-250 steel in India

3104. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact Maraging Steel M-250 is used for Tank which is being manufactured at Avadi in India ;

(b) if so, whether the same Maraging steel M. 250 is also being used in the fabrication of rockets;

(c) whether Maraging Steel M. 250 is being imported from the foreign markets whereas the same is available in plenty in India itself;

(d) if so, what are the main reasons for importing Maraging Steel M. 250 for use in the fabrication of rockets rather than using steel available in India ; and

(e) what was the total quantity of Maraging Steel M. 250 imported and the cost of expenditure involved during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI) : (a) No, Sir.

(b) It is being used for fabrication of certain rockets.

(c) No, Sir.

(d) and (e) Does not arise.

भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य सिविल सेवाओं से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति

3105. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सिविल सेवा के

व्यक्तियों को पदोन्नति भारतीय प्रशासनिक सेवा में किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में निहित प्रावधान, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती को विनियमित करते हैं । राज्य सिविल सेवा के जिन अधिकारियों ने उप-कलक्टर के पद पर अथवा किसी अन्य समकक्ष पदों पर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किया है, कम से कम आठ वर्ष की लगातार सेवा की हो, और जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन समिति की बैठक की जाती है, 54 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होते हैं ।

दन्त परिषद् के सहायक सचिव

3106. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय दंत परिषद् के वर्तमान सहायक सचिव अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंध रखते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनकी पदोन्नति सरकारी नियमों के अनुसार सचिव के पद पर नहीं की गयी ;

(ग) क्या भारतीय दंत परिषद के वर्तमान सचिव की नियुक्ति को सरकार द्वारा मान्यता दे दी गयी है ; और

(घ) क्या सरकार सचिव के पद पर अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार नियुक्त करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् में सहायक सचिव के पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति के पास केवल मैट्रिक तक अर्हता है जबकि परिषद में सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक है । इस प्रकार वह सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है ।

(ग) दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) (क) में निहित उपबंधों के अनुसार परिषद् के सचिव के पद पर नियुक्ति की शक्तियां भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद के शासी निकाय को है जो कि संसद द्वारा बनाए गए दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है । भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद ने अपनी 8-5-1988 को हुई बैठक में इस पद के पूर्व पदाधिकारी की दो वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के बारे में कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की । ऐसा करना अधिनियम के उपबंधों के अनुसार है ।

(घ) चूंकि परिषद में सचिव का पद भरा हुआ है, इसलिए इस समय इस पद पर नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

Shortfall in resources for the States

3107. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there will be a Rs. 2000 crore shortfall in resources for the States Annual plan for 1988-89 ; and